

**बिहार सरकार**  
**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

सं०सं०-पि०व०-40-105/08-

**अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन विभागीय सभागार/कार्यालय में उपयोग हेतु निम्नांकित उपस्करों के क्रय हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कंपनी/फर्म/अधिकृत विक्रेताओं, जो आई०एस०ओ० प्रमाण पत्र प्राप्त हो, से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित किया जाता है।

क्र०सं०	उपस्कर का नाम	मात्रा	इकाई	दर
1	40 व्यक्तियों के बैठन के लिए कॉन्फ्रेंस टेबुल (40 Seater conference table)	01 अदद	प्रत्येक	
2	हाई-बैक एक्जिक्यूटिव कुर्सी (High-back executive chair)	01 अदद	प्रत्येक	
3	कॉन्फ्रेंस कुर्सी (Conference chair)	60 अदद	प्रत्येक	
4	एक्जिक्यूटिव टेबुल (रनर के साथ) (साईज 8 फीट X 4 फीट)	01 अदद	प्रत्येक	
5	स्टील आलमारी (बड़ा)	04 अदद	प्रत्येक	
6	ऑफिस टेबुल (with double drawer) (साईज 6 फीट X 3 फीट)	02 अदद	प्रत्येक	
7	ऑफिस टेबुल (with double drawer) (साईज-5 फीट x 2½ फीट)	07 अदद	प्रत्येक	
8	3-1-1 सीटर सोफासेट	01 अदद	प्रत्येक	
9	कार्यालय पार्टीशन	01 अदद	प्रत्येक	

2- संबंधित कंपनी/अधिकृत विक्रेता/फर्म राज्य के निबंधन विभाग एवं वाणिज्यकर विभाग से निबंधित होना चाहिए तथा इनका वार्षिक turn over कम-से-कम 25 करोड़ होना चाहिए।

3- निविदा के साथ संबंधित ब्रांड का अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र, बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर, वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। साथ ही पैन नंबर भी संलग्न हो।

4- उपरोक्त सामग्रियों या उपरोक्त सामग्रियों के उपलब्ध अन्य मॉडल का दर (सभी करों सहित जो लागू हो) को अलग-अलग रूप से उल्लेखित किया जाय। सामग्रियों का अगर डी०जी०एस० एण्ड डी० रेट काट्रेक्ट हो, तो उसे भी अंकित किया जाय।


5- सामग्रियों की गुणवत्ता/वारंटी/गारंटी का स्पष्ट उल्लेख हो एवं नमूना के तौर पर कैंटलॉग भी संलग्न होना चाहिए।

6- निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 30.08.11 के 01.00 बजे अपराहन तक होगी, जिसे उक्त तिथि एवं समय तक किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा लिया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा उसी दिन 03.00 बजे अपराहन में निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोला जाएगा।

7- उपस्करों का चयन एवं निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत कये जाने का पूर्ण अधिकार विभागीय सचिव को सुरक्षित होगा एवं किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है।

8- कार्यालय आदेश मिलने पर उपस्करों को अधोहस्ताक्षरी के विभाग/कार्यालय में 07 दिनों के अंदर अधिष्ठापित किया जाना होगा।

9- उपस्कर आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगा एवं सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति के उपरांत राशि का भुगतान किया जा सकेगा।



(सुनील कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव।